# प्रेस नोट दिनांक 29.10.2020

## धोखाधड़ी कर एटीएम का क्लोन बनाकर पैसें निकालने वाले अर्न्तजनपदीय गिरोह के दो शातिर अपराधी गिरफ्तार, कब्जे से एटीएम क्लोनिंग डिवाइस, एटीएम कार्ड डेटा रिसीवर, 20 अदद ब्लैंक एटीएम व 16 हजार रूपये नगद बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली पुलिस तथा साइबर सेल मऊ को उस वक्त अहम सफलता हाथ लगी जब दिनांक 28.10.2020 को सायंकाल थाना कोतवाली पुलिस व साइबर सेल को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर दोरहीघाट पुलिया के पास से धोखाधड़ी कर एटीएम का क्लोन कर पैसें निकालने वाले गिरोह के दो शातिर अपराधी राम सिंह पुत्र भृगुनाथ सिंह निवासी अबाड़ी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़, पंचम यादव पुत्र शेषनाथ यादव निवासी अन्नूपार थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से एक अदद एटीएम क्लोनिंग डिवाईस, एक अदद एटीएम कार्ड डेटा रिसीवर, एक अदद मोबाईल, 20 अदद ब्लैंक एटीएम कार्ड, एक अदद सीडी व 16 हजार रूपया नगर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 546/20 धारा 419,420,467,468,471 भादवि0 व 66 आइटी एक्ट का अभियोग में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

उक्त अभियुक्तगणों से जब कड़ाई से पूछताछ किया गया तो उक्त द्वारा बताया गया कि हम एटीएम बुथ पर हम लाइन में पिछे लग कर लोगों को भ्रम में डालकर कुछ सेकेंण्ड के लिए एटीएम कार्ड अपने हाथ में लेकर तत्काल एटीएम कार्ड स्किमर में डाटा ट्रांसफर कर लेते है और उसके कार्ड का क्लोन कर दुसरे एटीएम से पैसे निकाल लेते है।

जनपद मऊ के थाना कोतवाली थाना घोसी, थाना मुहम्मदाबाद, थाना मधुबन क्षेत्रों से इनके विरूद्ध पंजीकृत मुकदमों में लगभग 04 लाख रूपये के अतिरिक्त अन्य शिकायती प्रार्थना पत्रों में लगभग 09 लाख 32 हजार इस जनपद से क्लोन किये जाने की तथा पैसा निकालने की सूचना प्राप्त हुयी है जिसको भी जांच मे सम्मिलित किया गया है।

उक्त अभियुक्त राम सिंह दिनांक 28.08.2020 को ही जिला कारागार मऊ से व उनके साथी आजमगढ़ जेल से रिहा हुए है और पुनः अपराध में सलिंप्त हो गये है। पंचम यादव पुत्र शेषनाथ यादव निवासी अन्नूपार थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ, थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 242/19 धारा 419,420,467,468 में वांछित चल रहा था।

**अपराधिक इतिहास राम सिंह पुत्र भृगुनाथ सिंह–**

**1.** मु0अ0सं0 183/19 धारा 419,420,467,468,471 भादवि0 व 66सी,डी आइटी एक्ट थाना मुबाकरपुर जनपद आजमगढ़।
**2.** मु0अ0सं0 563/20 धारा 66 आइटी एक्ट थाना कोतवाली।
**3.** मु0अ0सं0 751/20 धारा 67 आइटी एक्ट थाना घोसी।
**4.** मु0अ0सं0 512/20 धारा 67 आइटी एक्ट थाना मुहम्मदाबाद।
**5.** मु0अ0सं0 662/20 धारा 379 भादवि0 व 67सी आइटी एक्ट थाना मधुबन।
**6.** मु0अ0सं0 546/20 धारा 419,420,467,468,471 भादवि0 व 66 आइटी एक्ट थाना कोतवाली।

**अपराधिक इतिहास पंचम यादव पुत्र शेषनाथ यादव–**

**1.** मु0अ0सं0 242/19 धारा 419,420,467,468,471 भादवि0 व 66सी,डी आइटी एक्ट थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़। **इस अभियोग में पंचम यादव वांछित चल रहा था।**
**2.** मु0अ0सं0 546/20 धारा 419,420,467,468,471 भादवि0 व 66 आइटी एक्ट थाना कोतवाली।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण–**

**1.** राम सिंह पुत्र भृगुनाथ सिंह निवासी अबाड़ी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।
**2.** पंचम यादव पुत्र शेषनाथ यादव निवासी अन्नूपार थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ।

**बरामदगी–**

एक अदद एटीएम क्लोनिंग डिवाईस, एक अदद एटीएम कार्ड डेटा रिसीवर, एक अदद मोबाईल, 20 अदद ब्लैंक एटीएम कार्ड, एक अदद सीडी व 16 हजार रूपया नगद।

**गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–**

राम सिंह **प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली**, का0 आनन्द सिंह, का0 अजित कुमार, का0 कृपाशंकर गुप्ता, आ0चा0 सर्वेश कुमार थाना कोतवाली।
डी0के0 चौधरी **प्रभारी निरीक्षक साइबर सेल**, का0 शैलेन्द्र कन्नौजिया, का0 अंकुर यादव, का0 अरूण यादव, का0 लायक हुसैन, का0 अजय यादव साइबर सेल।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उक्त गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु 5000/– रूपया नगद पुरस्कार की घोषणा की गयी।

**अवैध तमंचा व प्रतिन्धित बोर के कारतूस के साथ एक शातिर गिरफ्तार–**

दिनांक 28.10.2020 को थाना घोसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान बड़ागांव के पास से जरिये मुखबिर की सूचना पर अब्दुल उर्फ मोनू पुत्र रियाद खॉ निवासी दुल्लहपुर थाना गाजीपुर के कब्जे से एक नाजायज तमंचा व एक अदद प्रतिबन्धित कारतूस 303 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 874/20 धारा 3/7/25 आयुद्य अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

**04 जिलाबदर अपराधी गिरफ्तार–**

आज दिनांक 29.10.2020 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **मुहम्मदाबाद** पुलिस द्वारा जिलाबदर अपराधी रिंकू पुत्र बरखु निवासी सुतरही, जकरी पुत्र मुख्तार निवासी खेराबाद, राजीव पुत्र दयाशंकर निवासी चकजाफरी, शमसेर यादव पुत्र दुरदेशी यादव निवासी क्यामपुर थाना मुहम्मदाबाद मऊ को गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर सम्बन्धित अभियोगों में धारा 3/10 गुण्डा नियत्रण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

**70 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब के साथ तीन गिरफ्तार–**

दिनांक 28.10.2020 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा बड़की बारी के पास से मल्लू राजभर पुत्र कादई राजभर, रफिक अहमद पुत्र इन्दल निवासीगण जीवापार थाना मधुबन दोनों के कब्जे से 20–20 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा गोविन्द राजभर पुत्र रमेश राजभर निवासी दरगाह थाना मधुबन के कब्जे से 30 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

**03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–**

आज दिनांक 29.10.2020 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **सरायलखंसी** पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 786/20 धारा 323,504,506,427,308 भादवि0 में वांछित अभियुक्त राजकुमार यादव पुत्र हरि यादव निवासी बढुआ गोदाम लोकापुर थाना सरायलखंसी, थाना **रानीपुर** पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 387/20 धारा 376 भादवि0 में वांछित अभियुक्त सिद्धु राजभर पुत्र लालजी राजभर निवासी गोकुलपुरा थाना रानीपुर, थाना घोसी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 393/20 धारा 323,504,506 भादवि0 व 67 आइटी एक्ट में वांछित अभियुक्त ओमप्रकाश पुत्र जगराम निवासी तिनहरी जगबैन जनपद बस्ती को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

**थाना सरालखंसी क्षेत्रान्तर्गत ताजपुर में दिव्यांग महिला का हत्या का आरोपी गिरफ्तार–**

दिनांक 27/28.10.2020 को थाना सरायलखंसी क्षेत्रान्तर्गत ताजपुर में एक दिव्यांग महिला उषा यादव का गला दबाकर हत्या कर दी गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 785/20 धारा 302 भादवि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें आरोपी हरिकेश यादव पुत्र स्व0 शिवबली यादव निवासी ताजपुर थाना सरायलखंसी मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।